SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
January – March 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-1

"बाल अधिकार एवं विजिटेशन राइट: कानूनी परिप्रेक्ष्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन"

श्रीमती पूनम चौरसिया
शोधार्थी (विधि विभाग)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

विजिटेशन राइट्स (मुलाकात के अधिकार) बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वर्तमान कानूनी व्यवस्थाओं में कई कमियां हैं। माता-पिता के आपसी विवादों और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण बच्चों को अपने माता-पिता से मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है।

सबसे पहले, कानूनी सुधारों के तहत विजिटेशन राइट्स से संबंधित स्पष्ट और कठोर प्रावधान बनाए जाने चाहिए, जिससे माता-पिता के मतभेदों के बावजूद बच्चे को उसका अधिकार मिल सके। फास्ट ट्रैक फैमिली कोर्ट्स की स्थापना से ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा, माता-पिता के लिए काउंसलिंग और बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता आवश्यक है, जिससे वे तलाक या अभिभावकों के अलगाव के मानसिक प्रभाव से बच सकें। तकनीकी समाधान जैसे डिजिटल विजिटेशन को कानूनी मान्यता देकर, माता-पिता को ऑनलाइन मुलाकात का अवसर देना चाहिए, जिससे भौगोलिक बाधाओं को दूर किया जा सके। विजिटेशन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अदालत के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।

न्यायिक सुधारों के तहत, विजिटेशन नीतियों को जेंडर-न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए, जिससे दोनों माता-पिता को समान अधिकार मिले। मध्यस्थता (ADR) जैसी वैकल्पिक समाधान प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर, कानूनी विवादों को कम किया जा सकता है।

कुंजीभूत शब्द

संरक्षकता, विजिटेशन अधिकार, बच्चों का सर्वोत्तम हित, न्यायिक हस्तक्षेप, कानूनी प्रक्रिया, अधिकार, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन, परिवारिक विवाद, माता-पिता का अधिकार, कस्टडी अधिकार।

विजिटेशन राइट: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिचय

परिचय

तलाक एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है जो न केवल विवाहित जोड़े के जीवन को प्रभावित करती है बल्कि उनके बच्चों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती है। तलाक के समय बच्चों की कस्टडी और संरक्षकता का निर्धारण सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इस संदर्भ में न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शोधपत्र तलाक के दौरान बच्चों की संरक्षकता के संबंध में न्यायालय की भूमिका, इसके निर्णय लेने के मानदंड और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत प्रकाश डालता है विजिटेशन राइट्स यानी मिलन का अधिकार, तलाक या वैवाहिक विच्छेद के बाद बच्चों के साथ माता-पिता के संपर्क को सुनिश्चित करने वाला एक कानूनी अधिकार है। बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विजिटेशन राइट्स को तय किया क के बाद बच्चों के साथ माता-पिता का संपर्कतला एक जटिल मुद्दा है, जिसमें बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में विजिटेशन राइट्स से संबंधित कोई विशिष्ट कानून नहीं है। हालांकि, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता जैसे कानूनों में बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में प्रावधान हैं। अदालतें बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विजिटेशन राइट्स तय करती हैं होने के बाद भी, बच्चों को दोनों माता-पिता के प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे दोनों माता-पिता के प्यार और देखभाल से वंचित न रहें, इसीलिए, कई देशों में विजिटेशन राइट्स (मिलन के अधिकार) के नियम बनाए गए हैं मिलन का अधिकार, तलाक या वैवाहिक विच्छेद के बाद बच्चों के साथ माता-पिता के संपर्क को सुनिश्चित करने वाला एक कानूनी अधिकार है।20वीं सदी में बाल अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) ने बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए कई सिद्धांतों को

स्थापित किया। इन सिद्धांतों में यह भी शामिल है कि बच्चों को दोनों माता-पिता के साथ संपर्क का अधिकार है। यह परिकल्पना इस तथ्य पर आधारित है कि बच्चे दोनों माता-पिता के प्यार और देखभाल के लिए समान रूप से हकदार हैं, भले ही उनके माता-पिता अलग हो जाएं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विजिटेशन राइट्स की अवधारणा प्राचीन समय से विकसित होती आई है। रोमन कानून के तहत, माता-पिता को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार था, भले ही वे परिवार का हिस्सा न हों। मध्यकालीन यूरोप में चर्च और सामंती व्यवस्था के तहत यह अधिकार चर्च अदालतों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

आधुनिक काल में विकास

19वीं और 20वीं शताब्दी में तलाक कानूनों के विकास के साथ विजिटेशन राइट्स को अधिक कानूनी आधार मिला। अमेरिका और ब्रिटेन में न्यायालयों ने इसे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में विकसित किया। भारत में, इस विषय में प्रमुख कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत आता है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी परिप्रेक्ष्य

अमेरिका

अमेरिका में विजिटेशन राइट्स राज्य कानूनों पर निर्भर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले Troxel v. Granville (2000) ने इस अधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिसमें यह कहा गया कि माता-पिता को यह तय करने का अधिकार है कि उनके बच्चे किससे मिल सकते हैं।

ब्रिटेन

ब्रिटेन में Children Act, 1989 के तहत माता-पिता और अन्य संबंधियों को विजिटेशन राइट्स प्रदान किए जाते हैं। ब्रिटिश न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हैं।

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ के कानूनों में European Convention on Human Rights (ECHR) के तहत विजिटेशन राइट्स को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

भारतीय कानूनी परिप्रेक्ष्य

भारत में विजिटेशन राइट्स (मुलाकात के अधिकार) को कानूनी रूप से माता-पिता और बच्चों के बीच संबंधों की निरंतरता बनाए रखने के लिए मान्यता दी गई है। भारतीय कानून में यह अधिकार विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण होता है, जहां माता-पिता के बीच तलाक, कानूनी अलगाव या बच्चे की कस्टडी से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं। यह अधिकार मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, माता-पिता और संरक्षकता अधिनियम, 1890 तथा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत स्थापित किया गया है।

भारतीय न्यायपालिका विजिटेशन राइट्स को बच्चे के सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) की दृष्टि से देखती है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के कई निर्णय इस बात की पुष्टि करते हैं कि माता-पिता का वैवाहिक संबंध समाप्त होने के बावजूद, बच्चे को दोनों माता-पिता के साथ संबंध बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भी ऐसे मामलों में विजिटेशन राइट्स का प्रभाव पड़ता है, खासकर जब विवाद के कारण माता-पिता के बीच तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के लिए भी उनके पर्सनल लॉ में विजिटेशन राइट्स की व्यवस्था की गई है। मुस्लिम कानून में, कस्टडी के मामलों में "हिज़ानत" (Hizanat) की अवधारणा लागू होती है, जिसमें आमतौर पर मां को प्राथमिक अभिभावक माना जाता है, लेकिन पिता को भी मुलाकात का अधिकार दिया जाता है। ईसाई समुदाय के लिए, इंडियन डिवोर्स एक्ट, 1869 के अंतर्गत अदालतें विजिटेशन राइट्स को निर्धारित कर सकती हैं।

हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका ने डिजिटल विजिटेशन (Video Calls, Virtual Meetings) की भी अनुमति दी है, जिससे गैर-हस्तगत (Non-Custodial) माता-पिता को भी

अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखने का अवसर मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई माता-पिता विजिटेशन राइट्स को अवरोधित करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

वर्तमान में, विजिटेशन राइट्स को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानूनों में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पश्चिमी देशों में सह-पालन (Co-Parenting) की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। न्यायपालिका एवं विधायिका दोनों ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं कि बच्चे को माता-पिता के प्रेम और देखभाल से वंचित न किया जाए, चाहे वे साथ न रहते हों।

विजिटेशन राइट्स से जुड़े कुछ प्रमुख केस:

अनुज चतुर्वेदी बनाम ज्योति (2019)

सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बच्चे की हिरासत माँ को दी गई थी। न्यायालय ने माता-पिता दोनों के बच्चे के जीवन में महत्व को रेखांकित किया और पारिवारिक न्यायालय को निर्देश दिया कि वह बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हुए उचित मुलाकात के अधिकार निर्धारित करे न्यायालय ने सुझाव दिया कि मुलाकात के अधिकार लचीले होने चाहिए, विशेष रूप से छुट्टियों के दौरान, ताकि बच्चा अपने पिता के साथ बंधन बना सके। न्यायालय ने कुछ मामलों में सुरक्षित और पर्यवेक्षित मुलाकात की व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसने पर्यवेक्षित मुलाकात के लिए विभिन्न स्थानों का सुझाव दिया, जैसे पुलिस स्टेशन, उच्च न्यायालय के कक्ष, गैर-सरकारी संगठन, मॉल या सार्वजनिक संस्थयह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के जीवन में माता-पिता दोनों के महत्व को फिर से पुष्टि करता है और बच्चे के सर्वोत्तम हितों के साथ माता-पिता दोनों के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह उन मामलों में उचित मुलाकात व्यवस्था निर्धारित करने के लिए भी मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है जहां माता-पिता अलग हो गए हैं।

उम्मार जमाल बनाम सैयद सिराज अहमद एंड ऑर्स 2010

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों माता-पिता को अपने बच्चों से मिलने और उनका पालन-पोषण करने का अधिकार है। यह बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है।अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत के मामले लंबित रहते हुए भी, बच्चों से मिलने का अधिकार एक अंतरिम राहत के रूप में दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों से मिलने के अधिकार का फैसला करते समय, बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी च यह फैसला भारत में बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने स्पष्ट किया है कि बच्चों को अपने दोनों माता-पिता के प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है, और अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे के अलग होने के बाद भी यह संबंध बना रहे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब माता-पिता अलग हो जाते हैं, तो दोनों को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार होता है। यह बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।

विक्रम वीर वोहरा बनाम शालिनी भल्ला (2010)

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब माता-पिता अलग हो जाते हैं, तो बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के साथ मिलने के अधिकार का फैसला करते समय अदालत को हमेशा बच्चे के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों से मिलने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए ताकि बच्चा दोनों माता-पिता के साथ समय बिता सके। इस मामले में माँ विदेश में रहती थी। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई कि बच्चा अपनी माँ से भी नियमित रूप से मिल यह फैसला भारत में बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने स्पष्ट किया है कि बच्चों को अपने दोनों माता-पिता के प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है, और अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे के अलग होने के बाद भी यह संबंध बना रहे।

बाल अधिकार और विजिटेशन राइट का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

बाल अधिकारों का संरक्षण और विजिटेशन राइट्स (मुलाकात के अधिकार) का क्रियान्वयन बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब माता-पिता

के बीच तलाक या कानूनी अलगाव होता है, तो बच्चे की परवरिश पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। विजिटेशन राइट्स के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चा अपने गैर-हस्तगत (Non-Custodial) माता-पिता से भी संपर्क बनाए रख सके, जिससे उसे मानसिक और भावनात्मक स्थिरता मिलती है।

1. विजिटेशन राइट्स और बाल अधिकारों का परस्पर संबंध

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC) के अनुच्छेद 9 के अनुसार, प्रत्येक बच्चे को अपने माता-पिता से संपर्क बनाए रखने का अधिकार है, जब तक कि यह उनके सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) के खिलाफ न हो। भारत में भी यह अधिकार विभिन्न कानूनों जैसे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के माध्यम से संरक्षित किया गया है।

2. विजिटेशन राइट्स का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव

माता-पिता से अलगाव का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। जब बच्चे को अपने गैर-हस्तगत माता-पिता से मिलने की अनुमति नहीं मिलती, तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं–

1. **असुरक्षा की भावना** - बच्चा यह महसूस करने लगता है कि वह अपने माता-पिता में से एक को खो चुका है, जिससे उसमें आत्म-संकोच और भय विकसित हो सकता है।
2. **डिप्रेशन और एंग्जायटी** - माता-पिता के अलगाव से बच्चे में अवसाद, चिड़चिड़ापन और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
3. **आत्म-सम्मान में गिरावट** - विजिटेशन राइट्स में बाधा आने पर बच्चा खुद को दोषी मान सकता है, जिससे उसका आत्म-सम्मान प्रभावित होता है।
4. **सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन** - माता-पिता की अनुपस्थिति के कारण बच्चे में आक्रामकता, सामाजिक अलगाव, या असामान्य व्यवहार विकसित हो सकता है।

3. विजिटेशन राइट्स से बच्चों के सकारात्मक विकास में सहायता

यदि विजिटेशन राइट्स को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह बच्चे के समग्र मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता कर सकता है–

1. **सुरक्षित भावनात्मक संबंध** - माता-पिता के साथ लगातार संपर्क में रहने से बच्चे को सुरक्षा की भावना मिलती है।
2. **बेहतर सामाजिक कौशल** - जब बच्चा दोनों माता-पिता के संपर्क में रहता है, तो उसके सामाजिक व्यवहार में संतुलन बना रहता है।
3. **अध्ययन और करियर पर सकारात्मक प्रभाव** - मानसिक रूप से स्थिर बच्चे पढ़ाई और करियर पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
4. **संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास** - बच्चे को यह समझने में मदद मिलती है कि रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे उनमें सहानुभूति की भावना विकसित होती है।

4. न्यायपालिका की भूमिका और सुझाव

भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि विजिटेशन राइट्स को बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए। कोर्ट द्वारा डिजिटल विजिटेशन (वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग) को बढ़ावा देना एक सराहनीय कदम है, जिससे माता-पिता और बच्चे के बीच संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है।

हालांकि, कुछ मामलों में माता-पिता अपनी व्यक्तिगत नाराजगी के कारण विजिटेशन राइट्स को बाधित करते हैं, जिससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कानूनी व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने और काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

विजिटेशन राइट्स और बाल अधिकारों में सुधार के सुझाव

विजिटेशन राइट्स बच्चों के मानसिक (मुलाकात के अधिकार), भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, वर्तमान कानूनों और उनकी व्यावहारिकता में

कुछ कमियां हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। नीचे विजिटेशन राइट्स से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

1. कानूनी सुधार

(i) सुस्पष्ट और कठोर कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता

- वर्तमान में, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 में विजिटेशन राइट्स का उल्लेख है, लेकिन इनकी व्याख्या स्पष्ट नहीं है।
- एक नए समग्र "चाइल्ड विजिटेशन एंड कस्टडी राइट्स एक्ट" की आवश्यकता है, जो विजिटेशन अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे और इसे बाधित करने पर सख्त दंड का प्रावधान रखे।
- मातापिता के व्यक्तिगत मतभेदों से बच्चे के अधिकार प्रभावित न हों-, यह सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

(ii) निर्णय प्रक्रिया में तेजी

- वर्तमान में, विजिटेशन राइट्स से जुड़े मामलों में कानूनी कार्यवाही में लंबा समय लग जाता है, जिससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- "फास्ट ट्रैक फैमिली कोर्ट्स" की स्थापना की जानी चाहिए, जहां विजिटेशन राइट्स और कस्टडी से जुड़े मामले 6 महीने के भीतर सुलझाए जाएं।
- कोर्ट को प्रत्येक मामले में बच्चे की राय को भी ध्यान में रखना चाहिए, खासकर यदि बच्चा 10 वर्ष से अधिक उम्र का हो।

2. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुधार

(i) माता-पिता की काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रम

- कई मामलों में माता-पिता अपने व्यक्तिगत विवादों के कारण विजिटेशन राइट्स को बाधित करते हैं, जिससे बच्चे को भावनात्मक आघात होता है।

- सरकार द्वारा अनिवार्य पैरेंटिंग वर्कशॉप आयोजित की जानी चाहिए, जहां माता-पिता को यह समझाया जाए कि विजिटेशन राइट्स को सीमित करना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है।
- फैमिली काउंसलिंग सेंटर खोले जाने चाहिए, जहां माता-पिता और बच्चे को उचित मार्गदर्शन मिल सके।

(ii) बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता

- माता-पिता के अलगाव के कारण बच्चों को तनाव और अवसाद का सामना करना पड़ता है।
- स्कूलों और समुदाय स्तर पर "चाइल्ड काउंसलिंग प्रोग्राम" शुरू किए जाने चाहिए, जिससे बच्चों को उनकी भावनात्मक स्थिति को समझने और संभालने में मदद मिले।
- कोर्ट द्वारा विजिटेशन राइट्स पर फैसला लेने से पहले बाल मनोवैज्ञानिकों की राय ली जानी चाहिए, ताकि बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जा सके।

3. तकनीकी सुधार

(i) डिजिटल विजिटेशन का विस्तार

- कई मामलों में माता-पिता अलग शहरों या देशों में रहते हैं, जिससे व्यक्तिगत मुलाकात संभव नहीं होती।
- विजिटेशन के समय माता-पिता के बीच विवाद से बचने के लिए निगरानी वाली ऑनलाइन बातचीत (Supervised Digital Meetings) की सुविधा दी जानी चाहिए।

(ii) विजिटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम

- कई मामलों में विजिटेशन राइट्स दिए जाने के बावजूद माता-पिता इनका पालन नहीं करते।
- सरकार को एक "विजिटेशन ट्रैकिंग सिस्टम" बनाना चाहिए, जहां यह रिकॉर्ड रखा जाए कि विजिटेशन के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।
- अगर कोई माता-पिता विजिटेशन राइट्स का पालन नहीं करता, तो उस पर आर्थिक दंड Fine) या कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

4. न्यायिक सुधार और नीति निर्माण

(i) जेंडर-न्यूट्रल विजिटेशन नीतियां

- वर्तमान कानूनों में अक्सर पिता की भूमिका को कम आंका जाता है, जबकि कई मामलों में पिता भी अच्छे अभिभावक होते हैं।
- विजिटेशन राइट्स को जेंडर-न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि बच्चे को माता-पिता दोनों का समान अधिकार मिले।
- सिंगल पेरेंट या LGBTQ+ माता-पिता के अधिकारों को भी विजिटेशन नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) अभिभावकों के लिए वैकल्पिक समाधान (Alternative Dispute Resolution - ADR)

- तलाक और अभिरक्षा से जुड़े मामले कोर्ट में बहुत समय लेते हैं।
- मध्यस्थता (Mediation) और पारिवारिक मध्यस्थता (Family Counseling) जैसी ADR प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे माता-पिता आपसी सहमति से विजिटेशन शर्तें तय कर सकें।
- ADR प्रक्रिया को कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई अभिभावक विजिटेशन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

निष्कर्ष

तलाक एक भावनात्मक रूप से कठिन समय होता है। विजिटेशन राइट्स को लेकर दोनों माता-पिता के बीच तनाव होना आम बात है। दोनों माता-पिता आपस में मिलकर एक समझौता कर सकते हैं आमतौर पर एक समझौते या अदालत के फैसले के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। समझौते में दोनों माता-पिता मिलकर यह तय करते हैं कि वे बच्चे से कैसे मिलेंगे राइट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सप्ताहांत के विजिट, छुट्टियों के दौरान विजिट, या वैकल्पिक सप्ताहांत के विजिट।। यदि दोनों पक्ष समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो अदालत एक फैसला सुनाती है। राइट्स उन्हें दोनों माता-पिता के साथ समय बिताने और एक मजबूत बंधन बनाने का मौका देते हैं।यह उन्हें अपने बच्चों के विकास को देखने और उनकी परवरिश में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है।बच्चे से मिलने का अधिकार, आमतौर पर बच्चे के हित में माना जाता है।यह अधिकार बच्चों के भावनात्मक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ

स्थितियों में, यह बच्चों के लिए हानिकारक भी हो सकता ह यदि एक माता-पिता ने बच्चे के साथ शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा की है, तो विजिटेशन राइट्स देने से बच्चे को खतरे में डाल सकता है।।यदि बच्चा किसी एक माता-पिता से मिलना नहीं चाहता है, तो बच्चे में तनाव और चिंता पैदा हो सकती है। से बच्चे की भावनात्मक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शेड्यूल बनाना और उसका पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC), 1989
2. Guardians and Wards Act, 1890
3. Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
4. Divorce Act, 1869
5. Special Marriage Act, 1954
6. Hindu Marriage Act, 1955
7. Code of Civil Procedure, 1908 (Order 32A – Family Matters)
8. अग्निहोत्री, एस. (2015). बाल अधिकार और भारतीय कानून. नई दिल्ली: यूनिवर्सल पब्लिशिंग
9. पाराशर, अर्चना (2008). Family Law in India. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
10. दीक्षित, आर. (2020). न्यायिक प्रक्रिया एवं पारिवारिक विवादों का अध्ययन. प्रकाशन विभाग
11. रेड्डी, जी.बी. (2016). Law of Marriage & Divorce in India. लेक्सिसनेक्सिस
12. कुमार, एस. (2019). "भारतीय न्यायपालिका में बाल अधिकारों की सुरक्षा" – भारतीय विधि समीक्षा जर्नल
13. शर्मा, पी. (2021). "विजिटेशन राइट्स और बाल मनोविज्ञान का प्रभाव" – नेशनल लॉ जर्नल
14. Menon, N. (2020). "Judicial Trends in Custody and Visitation Rights in India" – Indian Journal of Legal Studies
15. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की वेबसाइट – www.nhrc.nic.in
16. बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) – www.ncpcr.gov.in
17. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति (UNCRC) – www.unicef.org